साक्षरता भारत कार्यक्रम

क्र.सं.	योजना का संक्षिप्त परिचय	विवरण
1.	साक्षर भारत कार्यक्रम	भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 08 सितम्बर, 2009 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के "स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग" की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना साक्षर भारत कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक भव्य समारोह में किया गया एवं साक्षर भारत कार्यक्रम का संचालन 01.10.2009 से प्रारम्भ कर दियां गया है। राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से प्राप्त विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, साक्षर भारत कार्यक्रम में 15 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। हालांकि इसमें विशेष प्राथमिकता महिला वर्ग की साक्षरता पर दिया गया है। इस योजना में बुनियादी साक्षरता, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम अब श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम के स्थान पर सतत् रूप से साथ-साथ संचालित होगे। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवक आधारित जन अभियान के प्रयास में प्रौढ़ शिक्षा के वैकल्पिक प्रयास का प्रावधान रखा गया है। क्षेत्रीय सीमाओ के भीतर सभी कार्यक्रमो के प्रबंधन तथा समन्वयन के लिए लोक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये है। योजना में राज्य सरकार तथा समुदाय के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। वर्तमान में साक्षर भारत कार्यक्रम में भारत सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान 40 प्रतिशत हैं।
2.	कार्यक्रम के उद्देश्य	• असाक्षर व्यक्तियों को साक्षरता, तथा अंक ज्ञान का कौशल प्रदान करना। • नवसाक्षरो को बुनियादी साक्षरता से आगे शिक्षार्जन जारी रखने एवं औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से समतुल्य शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाना। • जीवन स्तर एवं आय अर्जन की दशाओं में सुधार लाने हेतु नवसाक्षरों एवं असाक्षरों में आवश्यक कौशल विकास प्रदान करना। • 4. नवसाक्षर व्यक्तियों को सतत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान कर, सीखते-पढ़ते समाज की रचना को प्रोत्साहित करना।
3.	कार्यक्रम के लक्ष्य	• 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों को लाभान्वित करना। • 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों को बुनियादी शिक्षा तथा व्यवसायिक कायर्क्रम से जोड़ना। • इन लक्ष्यो की पूर्ति हेतु कार्यक्रम की प्राथमिकता महिला साक्षरता दर में वृद्धि होगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य गैर लाभान्वित समूहों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। • राज्य में 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना। • साक्षरता दर के जेण्डर गैप को घटाकर 10 प्रतिशत तक करना।

4.	साक्षर भारत काय्रक्रम में आयोजित की जाने वाली गतिविधियां	साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं/की जानी प्रस्तावित है, जिसमें 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयुवर्ग के सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है। • बेसिक साक्षरता • समतुल्यता शिक्षा • सतत् शिक्षा कार्यक्रम • व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रम। उक्त गतिविधियों के अलावा साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्न आयाम और शामिल किये गये हैं। जिस के सम्बन्ध में नवसाक्षरों को जानकारी दी जाती है। • चुनावी साक्षरता • वित्तीय साक्षरता • कानूनी साक्षरता • आपदा प्रबन्धन एवं नागरिक सुरक्षा
5.	लाभान्वित वर्ग	15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के सभी असाक्षर व्यक्ति।
6.	पात्रता	असाक्षर व्यक्ति।
7.	योजना का क्षेत्र	राज्य के 32 जिलो में योजना लागू (कोटा जिले को छोडकर)
8.	देय सुविधाएं	शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय एवं वाचनालय सुविधा
9.	आवेदन का तरीका एवं आवेदन कहां किया जावें	सर्वे के आधार पर चिन्हित असाक्षर व्यक्ति ग्राम पंचायत पर संचालित लोक शिक्षा केन्द्र पर पठन-पाठन के लिए जा सकते है एवं प्रेरक को अपना आवेदन पत्र देकर साक्षरता कक्षाओं में प्रवेश ले सकते है।
10.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदन के लिए कोई औपचारिकताएं नही है सिर्फ सादे कागज पर आवेदन कर सकते है या प्रेरक को अपना नाम सीधे ही लिखा सकते है।
11.	सम्पर्क सूत्र	जिला स्तर पर जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी तथा राज्य स्तर पर निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा। टे.फो.नं. 0141.2708836, फैक्स- 2709025, 2701445 E-mail-dir-lit-rj@nic.in www.rajliteracy.org

लोक शिक्षा केन्द्र के संभागियों का नामांकन

फोटो

1. नाम शिक्षार्थी : ....
2. पिता/पति का नाम : ....
3. आयु : ....
4. लिंग (महिला/पुरूष) : ....
5. जाति (अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/अन्य) : ....
6. डाक का पूरा पता : ....

   ग्राम का नाम .... ग्राम पंचायत................ पंचायत समिति.......... जिला.............

7. शिक्षण प्राप्त करने का स्थान व समय : ....
8. लोक शिक्षा केन्द्र के स्थान का नाम : ....
9. लोक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से प्राप्त शैक्षिक सुविधाएं(आखर हलचल/ब्रिज प्राईमर) : ....
10. लोक शिक्षा केन्द्र में प्रवेश की दिनांक : ....

हस्ताक्षर प्रेरक

महिला शिक्षण विहार-झालावाड़

क्र. सं.	योजना का नाम	महिला शिक्षण विहार, झालावाड़
1.	योजना का परिचय	राज्य के 15 से 30 आयु वर्ग के वंचित वर्ग विधवा, आदिवासी एवं दूरस्थ अंचलों की महिलाओं को 5 वर्ष तक आवासीय विधालय के माध्यम से कक्षा 10 तक की शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक हूनर भी दिया जाता है, जिससे महिलाऐं सशक्त होकर स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनती हैं। यह शिक्षण विहार जिला झालावाड़ में संचालित है।
2.	प्रारम्भ होने का वर्ष	महिला शिक्षण विहार वर्ष 1997 से झालावाड़ जिलें में लोक जुम्बिश परियोजना के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा था। वर्ष 2005-06 में उक्त महिला शिक्षण विहार का संचालन करने का दायित्व राज्य सरकार द्वारा निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा को सौपा गया।
3.	लाभान्वित वर्ग	15 से 30 आयुवर्ग की महिलाएं
4.	पात्रता	15 से 30 आयुवर्ग की वंचित वर्ग विधवा, आदिवासी एवं दूरस्थ अंचलो की महिलायें जो पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर होना चाहती हैं।
5.	देय सुविधाएं	आवास, भोजन, दो ड्रेस, एवं तीन वर्ष तक के आयु के बच्चे को साथ रखने की सुविधा।
6.	आवेदन का तरीका	प्रवेश जुलाई माह में प्रारम्भ होने की सूचना समाचार पत्रो में दी जाती है। जिले में जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, प्रेरको एवं ब्लॉक समन्वयक के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को चिन्हित कर महिला शिक्षण विहार झालावाड़ में प्रवेश के लिए प्रेरित किया जाता है।
7.	आवेदन कहां किया जावे	• प्राचार्य महिला शिक्षण विहार, झालावाड • जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी झालावाड़
8.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	• 15 से 30 आयुवर्ग की महिलाएं • शिक्षण अवधि के दौरान महिला शिक्षण विहार में रहना।
9.	संम्पर्क सूत्र	प्राचार्य महिला शिक्षण विहार झालावाड़, संबंधित जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी, राज्य स्तर पर निदेशक साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, राजस्थान, जयपुरा। टे.फो. नं. 0141-2708836 फैक्स- 2709025, 2701445 E-mail- dir-lit-rj@nic.in, www.rajliteracy.org